

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 15/2023

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय 21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलैक्ट्रॉनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रमोद प्रकाश शर्मा

...प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. विकास कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा, निवास पता-खसरा नंबर 2283, 13 बिस्वा ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान 303511
एवं

पता:-वार्ड नंबर 14, जलवाला, डिडवाना लालसोट, दौसा (राजस्थान) 303511
(ऋणी)

2. प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा, निवास पता-खसरा नंबर 2283, 13 बिस्वा ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान 303511
एवं

पता:-वार्ड नंबर 14, जलवाला, डिडवाना लालसोट, दौसा (राजस्थान) 303511
(सह ऋणी)

3. रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा, निवास पता-खसरा नंबर 2283, 13 बिस्वा ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान 303511
एवं

पता:-वार्ड नंबर 14, जलवाला, डिडवाना लालसोट, दौसा (राजस्थान) 303511
(सह ऋणी)

4. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि श्री रमेश कुमार शर्मा, निवास पता-खसरा नंबर 2283, 13 बिस्वा ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान 303511

एवं

पता:-वार्ड नंबर 14, जलवाला, डिडवाना लालसोट, दौसा (राजस्थान) 303511
(सह ऋणी)
...अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड शाखा कार्यालय जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 21,00,000 (रूपये इक्कीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल

.....निरंतर 2 पर

रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा आगरा रोड दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी व जमानतदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने व समाचार पत्रों में प्रकाशन के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति आवासीय मकान जो कि खसरा नंबर 2283, ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 380 वर्गमीटर है, उससे जुड़ा भाग व हिस्सा सहित जो कि श्रीमती सतोष देवी पत्नि श्री रमेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड शाखा कार्यालय जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा